ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow
(Uttar Pradesh State Government University)

संख्या– 858 /भा.विवि/कुसका/2024 दिनांक : 29 जून, 2024

33वीं कार्य परिषद् की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 29 जून, 2024 को प्रातः 11:00 बजे आचार्य नरेन्द्र देव प्रशासनिक भवन स्थित सभागार कक्ष में कार्यपरिषद् की 33वीं बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहेः–

1.	प्रो0 एन0बी0 सिंह, मा0 कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 जय शंकर प्रसाद पाण्डेय, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बप्पा श्री नारायन वोकेशनल पी0जी0 कॉलेज (के0के0वी0), चारबाग, लखनऊ।	सदस्य
3.	प्रो0 ललिता राव, सेवानिवृत्त–बी0एड0 विभाग, उदय प्रताप स्वायत्तशासी पी0जी0 कॉलेज, वाराणसी। (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
4.	प्रो0 सुधांशु पाड्या, डीन एवं डायरेक्टर–स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल सी0एस0जे0एम0 यूनिवर्सिटी, कानपुर।	सदस्य
5.	श्री फौजान अलवी, एक्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, 10 सिन्धिया हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
6.	प्रो0 मसऊद आलम, संकायाध्यक्ष–कला एवं मानविकी	सदस्य
7.	प्रो0 एहतेशाम अहमद, आचार्य–वाणिज्य, सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
8.	प्रो0 सौबान सईद, आचार्य–उर्दू, सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
9.	प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी, आचार्य–उर्दू विभाग।	सदस्य
10.	प्रो0 चन्दना डे, आचार्य–शिक्षाशास्त्र विभाग	सदस्य
11.	डॉ0 अताउर्रहमान आज़मी, सहायक आचार्य–व्यवसाय प्रशासन विभाग	सदस्य
12.	श्री साजिद आज़मी, वित्त अधिकारी	विशिष्ट आमंत्री
13.	डॉ0 भावना मिश्रा, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् की बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया और तद्उपरान्त माननीय कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर निम्नांकित निर्णय लिया गयाः–

बिन्दु संख्या–33.1 :

कार्य परिषद की 32वीं बैठक दिनांक 02 मार्च, 2024 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद की 32वीं बैठक दिनांक 02 मार्च, 2024 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण किया गया।

बिन्दु संख्या–33.2 :

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 10 मार्च, 2024 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 10 मार्च, 2024 की संलग्न कार्यवाही का सम्पुष्टिकरण किया गया।

बिन्दु संख्या–33.3 :

कार्य परिषद् की 32वीं बैठक दिनांक 02 मार्च, 2024 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (**Action Taken Report**)।

निर्णय :

कार्य परिषद् की 32वीं बैठक दिनांक 02 मार्च, 2024 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) से परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–33.4 :

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 10 मार्च, 2024 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report)।

निर्णय :

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 10 मार्च, 2024 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) से परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–33.5 :

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 03 नवम्बर, 2023 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किये पर विचार

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 03 नवम्बर, 2023 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–33.6 :

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 29 फरवरी, 2024, दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं दिनांक 01 जून, 2024 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 29 फरवरी, 2024, दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं दिनांक 01 जून, 2024 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–33.7 :

विद्या परिषद् की 18वीं बैठक दिनांक 19 जून, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किये पर विचार

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की 18वीं बैठक दिनांक 19 जून, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–33.8 :

वित्त समिति की 26वीं बैठक दिनांक 22 जून, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किये पर विचार

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा वित्त समिति की 26वीं बैठक दिनांक 22 जून, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा 26वीं वित्त समिति के बिन्दु संख्या–7 में कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी को संयुक्त रूप से रू0 50000/– एवं परीक्षा सम्बन्धी कार्यों हेतु परीक्षा नियंत्रक एवं वित्त अधिकारी को संयुक्त रूप से रू0 50000/– की सीमा तक वित्तीय अधिकार प्रतिनिधानित किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसके लिए माननीय कुलपति के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

अग्रेत्तर कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय की ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल की गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय व्ययभार के दृष्टिगत स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से 01 प्लेसमेंट ऑफीसर अथवा वाह्य एजेंसी के माध्यम से (viability/मितव्ययिता के आधार पर) प्लेसमेंट गतिविधियों का संचालन किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–33.9 :

डॉ0 मुर्तज़ा अली अतहर, सहायक आचार्य–उर्दू विभाग की अनुपरिथिति के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

कार्यपरिषद द्वारा डॉ0 मुर्तज़ा अली, सहायक आचार्य, उर्दू विभाग की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि चूंकि डॉ0 मुर्तज़ा अली अतहर दिनांक 23.06.2022 से अनुपस्थित चल रहे हैं और डॉ0 अली पूर्व में भी इसी प्रकार विश्वविद्यालय में कार्य पर उपस्थित नहीं होते रहे हैं। अतएव डॉ0 मुर्तज़ा अली अतहर के प्रकरण में 1. विभागाध्यक्ष–उर्दू, 2. वित्त अधिकारी एवं 3. कुलसचिव की समिति गठित करते हुए समिति को प्रकरण की जॉच करते हुए तथ्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक आख्या (fact finding) को कार्य परिषद् की अगली बैठक में निर्णायार्थ प्रस्तुत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–33.10 :

डॉ0 तनु डंग, सह आचार्य, गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का अवैतनिक असाधारण अवकाश दिनांक 15–05–2024 से 14–05–2025 तक विस्तारित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्यपरिषद द्वारा डॉ0 तनु डंग, सह आचार्य, गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का अवैतनिक असाधारण अवकाश दिनांक 15–05–2024 से 14–05–2025 तक विस्तारित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा डॉ0 तनु डंग को उक्त अवधि का धारणाधिकार (Lien) दिये जाने पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–33.11 :

डॉ0 आमिना हुसैन, सहायक आचार्य, अंग्रेजी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को दिनांक 15–05–2024 से 14–05–2025 तक प्रदान किये गये असाधारण अवकाश पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 आमिना हुसैन, सहायक आचार्य, अंग्रेजी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को दिनांक 15–05–2024 से 14–05–2025 तक प्रदान किये गये असाधारण अवकाश पर अनुमोदन प्रदान किया गया डॉ0 आमिना हुसैन को उक्त अवधि का धारणाधिकार (Lien) दिये जाने पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–33.12 :

डॉ0 तनु डंग, सहायक आचार्य (On Lien) का चयन प्रतिनियुक्ति के आधार पर गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में आचार्य के पद हो जाने के फलस्वरूप प्रदान की गयी अनापत्ति संख्या–767/भा.विवि/कुसका/2024/ 139/13 दिनांक 10 जून, 2024 पर कार्योत्तर अनुमोदन।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 तनु डंग, सहायक आचार्य (On Lien) का चयन प्रतिनियुक्ति के आधार पर गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में आचार्य के पद हो जाने के फलस्वरूप प्रदान की गयी अनापत्ति संख्या–767/भा.विवि/कुसका/2024/ 139/13 दिनांक 10 जून, 2024 पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–33.13 :

डॉ0 प्रियंका सूर्यवंशी, सह आचार्य, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा दिये गये Technical Resignation के आधार पर सहायक आचार्य–गृह विज्ञान के पद को रिक्त घोषित किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 प्रियंका सूर्यवंशी, सह आचार्य, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा दिये गये Technical Resignation को स्वीकार करते हुए सहायक आचार्य–गृह विज्ञान के पद को रिक्त घोषित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–33.14 :

डॉ0 सबीना, सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा दिये गये Technical Resignation के आधार पर सहायक आचार्य–भूगोल विभाग के पद को रिक्त घोषित किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 सबीना, सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा दिये गये Technical Resignation को स्वीकार करते हुए सहायक आचार्य–भूगोल विभाग के पद को रिक्त घोषित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–33.15 :

प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी, आचार्य–उर्दू विभाग की अधिवर्षता आयु दिनांक 31–05–2024 को पूर्ण होने के दृष्टिगत उन्हें दिनांक 30–06–2024 तक प्रदान किये गये सत्रांत लाभ के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी, आचार्य–उर्दू विभाग की अधिवर्षता आयु दिनांक 31–05–2024 को पूर्ण होने के दृष्टिगत उन्हें दिनांक 30–06–2024 तक प्रदान किये गये सत्रांत लाभ का अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–33.16 :

डॉ0 प्रवीण कुमार राय, पूर्व सह आचार्य, भूगोल विभाग के पत्र दिनांक 15–02–2024 पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 प्रवीण कुमार राय, पूर्व सह आचार्य, भूगोल विभाग के पत्र दिनांक 15–02–2024 पर विचार–विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि डॉ0 प्रवीण कुमार राय, पूर्व सह आचार्य के विरूद्ध पूर्व में गठित अनुशासनिक समिति द्वारा उन्हें सुनवाई/पक्ष प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये थे। अतः डॉ0 प्रवीण कुमार राय, पूर्व सह आचार्य के पत्र दिनांक 15–02–2024 की कोई प्रासंगिता नहीं रह जाती है। अतैव सर्वसम्मति से डॉ0 प्रवीण कुमार राय के पत्र दिनांक 15–02–2024 को अस्वीकृत करते हुए प्रकरण को निक्षेपित करने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–33.17 :

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 10 मार्च, 2024 में लिये गये निर्णय के क्रम में 09 शिक्षकों की सेवा समाप्ति के उपरान्त उन्हें पूर्व में आवंटित समस्त सामग्रियों/उपकरणों को स्टोर में जमा कराये जाने हेतु प्रो0 माहरूख मिर्ज़ा, पूर्व आचार्य, डॉ0 प्रवीण कुमार राय, पूर्व सह आचार्य, डॉ0 जमाल शब्बीर रिज़वी, पूर्व सह आचार्य एवं डॉ0 ताबिन्दा सुल्ताना, पूर्व सहायक आचार्य को निर्गत पत्र 15–04–2024 के उपरान्त भी वांछित सामग्री/उपकरण स्टोर में प्राप्त नहीं कराये जाने से कार्य परिषद् को अवगत कराते हुए अग्रेतर निर्णय लिये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 10 मार्च, 2024 में लिये गये निर्णय के क्रम में 09 शिक्षकों (प्रो0 माहरूख मिर्जा, डॉ0 प्रवीण कुमार राय, डॉ0 जमाल शब्बीर रिज़वी, डॉ0 ताबिन्दा सुल्ताना, प्रो0 संजीव कुमार त्रिवेदी, डॉ0 ममता शुक्ला, डॉ0 मानवेन्द्र सिंह, डॉ0 नदीम अहमद अंसारी एवं श्रीमती निधि सोनकर) की सेवा समाप्ति के उपरान्त उन्हें पूर्व में आवंटित विश्वविद्यालय परिसम्पत्तियों को स्टोर में जमा कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिनमें से प्रो0 संजीव कुमार त्रिवेदी, डॉ0 ममता शुक्ला, डॉ0 मानवेन्द्र सिंह, डॉ0 नदीम अहमद अंसारी एवं श्रीमती निधि सोनकर द्वारा उनको आवंटित विश्वविद्यालय परिसम्पत्तियॉ विश्वविद्यालय स्टोर में प्राप्त करा दी गई थीं। शेष 04 पूर्व शिक्षक प्रो0 माहरूख मिर्जा, डॉ0 प्रवीण कुमार राय, डॉ0 जमाल शब्बीर रिज़वी, डॉ0 ताबिन्दा सुल्ताना द्वारा उनको आवंटित विश्वविद्यालय परिसम्पत्तियाँ स्टोर को प्राप्त न कराये जाने के क्रम में 45 दिन का समय देते हुए दिनांक 15.04.2024 को पुनः पत्र प्रेषित किया गया किन्तु संदर्भित शिक्षकों द्वारा अद्यतन विश्वविद्यालय परिसम्पत्तियॉ स्टोर में जमा कराये जाने सम्बन्धी कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। अतः कार्यपरिषद द्वारा स्थिति का संज्ञान लेते हुए निम्नवत् निर्णय लिया गया–

"संदर्भित शिक्षक प्रो0 माहरूख मिर्जा, डॉ0 प्रवीण कुमार राय, डॉ0 जमाल शब्बीर रिज़वी, डॉ0 ताबिन्दा सुल्ताना को अन्तिम रूप से उनको व्यक्तिगत रूप से आवंटित सामग्रियाँ/विभाग के प्रभारी के रूप में उनके परिग्रह (possession) में उपलब्ध सामग्रियाँ विश्वविद्यालय स्टोर में 15

दिन के भीतर उपलब्ध करा दी जाएँ जिससे उनका शैक्षणिक एवं शोध कार्यों में उपयोग किया जा सके। अन्यथा की स्थिति में विभागवार कुलपति महोदय के अनुमोदन से त्रिसदस्यीय समिति का गठन करते हुए समिति के पर्यवेक्षण में वीडियोग्राफी कराते हुए कक्षों का ताला तुड़वाकर स्टोर में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारी द्वारा सूची तैयार करवा कर आगामी कार्यपरिषद में प्रस्तुत की जाए। इस हेतु सम्बन्धित पूर्व शिक्षक को भी उपस्थित रहने हेतु सूचित कर दिया जाए। यदि निर्धारित समय पर सम्बन्धित पूर्व शिक्षक उपस्थित नहीं रहते हैं, तो भविष्य में उनके द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा।

बिन्दु संख्या–33.18 :

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–वि.वे.नि. (प्रकोष्ठ)/97–2014 दिनांक 06 जून, 2014 द्वारा निर्गत आशुलिपिक, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–वि.वे.नि. (प्रकोष्ठ)/251/दस–2014–11–2013 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 द्वारा निर्गत सहायक लेखाकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–30/2016–वि.वे.नि.(प्र.)–47/दस–2016–14/2013 दिनांक 30 मई, 2016 द्वारा निर्गत कम्प्यूटर ऑपरेटर, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–वि.वे.नि. (प्रकोष्ठ) 189/दस–2014–11– 2013 दिनांक 22 सितंम्बर, 2014 द्वारा निर्गत कनिष्ठ सहायक की सेवा शर्तों, वेतनमान, ग्रेड–पे आदि को अंगीकृत कर लागू किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–वि.वे.नि. (प्रकोष्ठ)/ 97–2014 दिनांक 06 जून, 2014 द्वारा निर्गत आशुलिपिक, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–वि.वे.नि. (प्रकोष्ठ)/251/दस–2014–11–2013 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 द्वारा निर्गत सहायक लेखाकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–30/2016–वि.वे.नि.(प्र.)–47/दस–2016–14/2013 दिनांक 30 मई, 2016 द्वारा निर्गत कम्प्यूटर ऑपरेटर, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–वि.वे.नि. (प्रकोष्ठ) 189/दस–2014–11–2013 दिनांक 22 सितम्बर, 2014 द्वारा निर्गत कनिष्ठ सहायक की सेवा शर्तों, वेतनमान, ग्रेड–पे आदि को अंगीकृत कर लागू किये जाने पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया।

तद्ोपरान्त कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या–2560/सत्तर–4–2010–3(45)/09, दिनांक 22–11–20210 द्वारा आशुलिपिक ग्रेड–2 का 01 पद, सहायक लेखाकार का 01 पद, कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड–ए का 01 पद, कनिष्ठ लिपिक का 01 पद, वाहन चालक का 01 पद, अनुचर का 01 पद सृजित है, जो अभी भरा नहीं गया है।

इसी प्रकार शासनादेश संख्या–85/सत्तर–4–2013 द्वारा सहायक लेखाकार के 02 पद सृजित हैं, इन 02 पदों पर वर्ष 2013 में सीधी भर्ती के माध्यम से चयन किया गया, जिसमें 01 सहायक लेखाकार का अन्यत्र चयन हो जाने एवं 01 सहायक लेखाकार की पदोन्नति हो जाने के फलस्वरूप 02 पद रिक्त हैं। अतः उपरोक्त शासनादेशों के क्रम में सहायक लेखाकार के 03 पद वर्तमान में रिक्त हैं।

उपरोक्त पदों को भरे जाने हेतु उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को ऑनलाइन ई–अधियाचन प्रेषित किया गया था।

दिनांक 19 जून, 2024 को अधियाचन से सम्बन्धित ऑनलाइन बैठक में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित अधियाचन के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी थी तथा बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यवृत्त संख्या–1450/सत्तर–3–2024 दिनांक 21 जून, 2024 में 01 वाहन चालक के पद को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में शासनादेश संख्या–2560/सत्तर–4–2010–3(45)/09, दिनांक 22–11–20210 द्वारा सृजित वाहन चालक का 01 पद तथा अनुचर का 01 पद को आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य लिये जाने हेतु वित्त समिति की 26वीं बैठक दिनांक 22 जून, 2024 में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

शासनादेश संख्या–2560/सत्तर–4–2010– 3(45)/09, दिनांक 22–11–20210 द्वारा सृजित आशुलिपिक ग्रेड–2 का 01 पद, सहायक लेखाकार का 01 पद, कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड–ए का 01 पद, कनिष्ठ लिपिक का 01 पद की नियमावली उपलब्ध नहीं होने के कारण उ0प्र0 अधिनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा इन पदों की नियमावली उपलब्ध कराये जाने जाने की अपेक्षा की गयी थी।

उपरोक्त पदों में नियमावली, आयु सीमा निर्धारित नही थीं, इस कारण प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा के साथ हुयी बैठक दिनांक 19–06–2024 को प्राप्त निर्देशों के क्रम में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–वि.वे.नि. (प्रकोष्ठ)/97–2014 दिनांक 06 जून, 2014 द्वारा निर्गत आशुलिपिक, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–वि.वे.नि. (प्रकोष्ठ)/251/दस–2014–11–2013 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 द्वारा निर्गत सहायक लेखाकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–30/2016–वि.वे.नि.(प्र.)–47/दस–2016– 14/2013 दिनांक 30 मई, 2016 द्वारा निर्गत कम्प्यूटर ऑपरेटर, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–वि.वे.नि. (प्रकोष्ठ) 189/दस–2014–11–2013 दिनांक 22 सितम्बर, 2014 द्वारा निर्गत कनिष्ठ सहायक की सेवा शर्तों, वेतनमान, गेड–पे आदि प्राप्त की गयी। प्राप्त नियमावलियों के अनुसार पदों का विवरण निम्नवत् प्रस्तावित हैः–

क्रम	पदनाम	पदों की संख्या	पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन		भर्ती की विधि/अर्हता
			वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	
1.	आशुलिपिक	01	वेतन बैण्ड–1 रू. 5200–20200	2800	सीधी भर्ती द्वारा। 1– माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। 2– हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में क्रमशः 80 शब्द प्रतिमिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। 3– डी. ओ. ई. ए. सी. सी. सोसायटी/ एन. आई. ई.एल. आई.टी. द्वारा संचालित सी.सी. सी. पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण की

					हो। 4— माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण की हो।
2.	सहायक लेखाकार	01	वेतन बैण्ड—1 रू. 5200—20200	2800	सीधी भर्ती द्वारा। 1— भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एकाउन्टेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। 2— सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल डिप्लोमा।
3.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	वेतन बैण्ड—1 रू. 5200—20200	2400	सीधी भर्ती द्वारा। 1— माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की होना चाहिए। 2— किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा। या इलेक्ट्रानिक्स विभाग (डी. आई.ई.), भारत सरकार से 'ओ' लेवल प्रमाण—पत्र। 3— डॉस / यूनिक्स / विन्डोज़ एन्वायरोन्मेन्ट में एम.एस. ऑफिस / लोटस स्मार्ट सूट आदि जैसे विभिन्न साफ्टवेयरों पर अंग्रेजी और हिन्दी में डाटा एन्ट्री का अच्छा ज्ञान और किसी अन्य नेटवर्किंग ऑपरेटिव प्रणाली के एन्वायरोन्मेन्ट (कार्य परिवेश) से सुपरिचित होना।

					4— हिन्दी और अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द और 40 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है।
4.	कनिष्ठ सहायक (पूर्ववर्ती पदनाम कनिष्ठ लिपिक)	01	वेतन बैण्ड—1 रू. 5200—20200	2000	सीधी भर्ती द्वारा। 1— माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। 2— हिन्दी और अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। 3— डी. ओ. ई. ए. सी. सी. सोसायटी/एन.आई.ई.एल.आई. टी. द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण—पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण—पत्र।

उपरोक्त पदों पर भर्ती हेतु शासनादेश द्वारा सृजित पद का ग्रेड—पे, भर्ती नियम एवं वित्त विभाग द्वारा बनाये गये नियमों, ग्रेड—पे में भिन्नता होने के दृष्टिगत कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मिति से नियमावली अंगीकृत की गयी एवं नियमों, ग्रेड—पे आदि के अनुरूप अनुसार शासन से उक्तानुसार सृजित पद के सापेक्ष ग्रेड—पे शैक्षिक अर्हता अंकित कराते हुए शासन से पत्राचार करते हुए संशोधित शासनादेश प्राप्त किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या—33.19 :

विश्वविद्यालय के अधिवक्ताओं के पैनल में कतिपय अधिवक्ताओं के नाम सम्मिलित किये जाने पर विचार।

निर्णय :

विश्वविद्यालय के अधिवक्ताओं के पैनल में श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, अधिवक्ता, श्री प्रत्यूष त्रिपाठी, अधिवक्ता, श्री सवित्र वर्धन सिंह, अधिवक्ता को सम्मिलित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या—33.20 :

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर अग्रेतर कार्यवाही आरम्भ किये जाने पर विचार।

निर्णय :

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने हेतु प्राप्त आवेदनों की निर्धारित प्रक्रियानुसार स्क्रीनिंग/स्क्रुटनी कराने हेतु निदेशक, आई.क्यू.ए.सी., परीक्षा नियंत्रक एवं कुलसचिव को अधिकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–33.21 :

विश्वविद्यालय में संचालित नियमित पाठ्यक्रम एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों का साक्षात्कार हेतु विषय विशेषज्ञों के नामों के अनुमोदन तथा कैरियर एडवांसमेंट स्कीम योजनान्तर्गत नियमित शिक्षकों की प्रोन्नति/पदोन्नति हेतु विषय विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित नियमित पाठ्यक्रम एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों के साक्षात्कार हेतु विषय विशेषज्ञों के नामों पर अनुमोदन तथा कैरियर एडवांसमेंट स्कीम योजनान्तर्गत नियमित शिक्षकों की प्रोन्नति/पदोन्नति हेतु विषय विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–33.22 :

विश्वविद्यालय में संचालित नियमित पाठ्यक्रम एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों का साक्षात्कार हेतु एस0सी0/एस0टी0 एवं ओ0बी0सी0 के प्रतिनिधि के नामों पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित नियमित पाठ्यक्रम एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों के साक्षात्कार हेतु एस0सी0/एस0टी0 एवं ओ0बी0सी0 के प्रतिनिधि के नामों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–33.23 :

व्यवसाय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2013 में सामान्य श्रेणी में सह आचार्य के पद नियुक्त डॉ0 मुशीर अहमद के सेवा के दौरान दृष्टिबाधित होने के उपरान्त सी.ए.एस. प्रमोशन दिये जाने हेतु अपनाए जाने वाले मानकों पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा व्यवसाय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2013 में सामान्य श्रेणी में सह आचार्य के पद नियुक्त डॉ0 मुशीर अहमद के सेवा के दौरान दृष्टिबाधित होने से कार्य परिषद् अवगत हुयी तथा डॉ0 मुशीर अहमद को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम योजनान्तर्गत सह आचार्य से आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु :

अन्य बिन्दु संख्या–33(1) :

कार्य परिषद् की 32वीं बैठक के बिन्दु संख्या–32.13 में डॉ0 तत्हीर फात्मा, सह आचार्य, गृह विज्ञान के विरूद्ध लिये गये निर्णय पर अनुशासनिक समिति गठित किये जाने पर विचार।

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow
(Uttar Pradesh State Government University)

निर्णय :

कार्य परिषद् की 32वीं बैठक के बिन्दु संख्या–32.13 में डॉ0 तत्हीर फात्मा, सह आचार्य, गृह विज्ञान के विरूद्ध लिये गये निर्णय पर निम्नवत् अनुशासनिक समिति गठित की गयीः–

1. माननीय कुलपति : अध्यक्ष
2. प्रो0 ललिता राव, सदस्य कार्य परिषद् : सदस्य
3. प्रो0 मसऊद आलम, सदस्य कार्य परिषद् : सदस्य

कार्य परिषद् द्वारा उपरोक्त अनुशासनिक समिति हेतु उप कुलसचिव को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को नामित किये जाने पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त जांच के समस्त व्यय यथा वीडियोग्राफी रिकॉर्डिंग, वाह्य सदस्य का यात्रा भत्ता इत्यादि विश्वविद्यालय द्वारा वहन किये जाने तथा वाह्य सदस्य को प्रति बैठक धनराशि रू. 5000/– दिये जाने पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–33(2) :

डॉ0 आरिफ अब्बास, सहायक आचार्य द्वारा निलम्बन अवधि (दिनांक 22–12–2022 से 08–01–2024) तक का वेतन निर्गत किये जाने सम्बन्धी अनुरोध पर विचार।

निर्णय :

कुलसचिव द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ0 आरिफ अब्बास दिनांक 21.09.2020 से विश्वविद्यालय के फारसी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत् है। डॉ0 आरिफ अब्बास के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये इन्हें दिनांक 22.12.2022 को निलम्बित किया गया था। अनुशासनिक समिति की जाँच के उपरान्त मा0 कार्यपरिषद द्वारा 03 वेतन वृद्धि को संचयी प्रभाव से रोकते हुये दिनांक 06.01.2024 को बहाल किया गया था। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि भविष्य में इनके कार्य व्यवहार एवं आचरण के दृष्टिगत संदर्भित दण्ड के सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जा सकेगा। किन्तु संकायाध्यक्ष, कला एवं मानविकी संकाय द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया कि डॉ0 आरिफ अब्बास द्वारा अपने कार्य व्यवहार एवं आचरण में कोई सुधार नहीं किया गया। डॉ0 आरिफ अब्बास द्वारा बी0ओ0एस0, ए0ए0ए0 के सम्बन्ध में कोई भी सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है।

अग्रेत्तर डॉ0 आरिफ अब्बास द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित शिक्षक आचार संहिता एवं शिक्षक की गरिम/मर्यादा का उल्लंघन करते हुए जिला न्यायालय लखनऊ में सिविल सूट संख्या–2742/2022 एवं सिविल सूट संख्या–2216/2022 दिनांक 30.11.2022 भी योजित की गयी।

उक्त तथ्यों से अवगत होते हुए प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त माननीय कार्य परिषद् द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया–

"दिनांक 06.01.2024 को डॉ0 आरिफ अब्बास की बहाली के सम्बन्ध में निर्गत पत्र के क्रम में डॉ0 आरिफ अब्बास के कार्य, व्यवहार एवं आचरण के दृष्टिगत भविष्य में निलम्बन अवधि का वेतन दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा"

अन्य बिन्दु संख्या–33(3) :

विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में नियुक्ति किये जाने हेतु चयन समिति में वाह्य विशेषज्ञों को नामित किये जाने पर विचार।

Add. : - Sitapur-Hardoi Bypass Road, Lucknow-226013 U.P. (India)
website : https://kmclu.ac.in/, e-mail : reg@kmclu.ac.in

निर्णय :

परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु माननीय कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित पैनल को वाह्य विशेषज्ञ नामित किए जाने हेतु राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित किया गया था। राज्यपाल सचिवालय से पैनल का अनुमोदन न प्राप्त होने पर राज्यपाल सचिवालय से हुई मौखिक वार्ता के क्रम में अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पैनल में से वाह्य विशेषज्ञों का नामांकन विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा ही किया जाता है।

इसी क्रम में उपरोक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में अन्य विश्वविद्यालयों से भी इस विषय में वार्ता की गयी। वार्ता के उपरान्त ज्ञात हुआ कि अन्य विश्वविद्यालयों में भी स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति हेतु माननीय कार्यपरिषद से अनुमोदित पैनल से वाह्य विशेषज्ञों का नामांकन विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा ही किया जाता है।

उक्त से अवगत होते हुए कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु कार्यपरिषद से अनुमोदित पैनल से वाह्य विशेषज्ञों के नामांकन हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–33(4) :

विश्वविद्यालय में पूर्व से कार्यरत सहायक आचार्य (अस्थायी) से सत्र 2024–25 में शिक्षण कार्य लिये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में पूर्व से कार्यरत सहायक आचार्य (अस्थायी) से कार्य लिये जाने हेतु संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/विषय प्रभारी की संस्तुति पर सत्र 2024–25 में पूर्व से कार्यरत शिक्षक से शिक्षण कार्य लिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। शेष रिक्तियों के सापेक्ष सहायक आचार्य (अस्थायी) की चयन प्रक्रिया कराने के भी निर्देश दिये गये।

अन्य बिन्दु संख्या–33(5) :

कार्यालय–ज्ञाप संख्या–3064/भा.विवि/कुसका/2020 दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 द्वारा नामित विश्वविद्यालय में संकायाध्यक्षों का 03 अवधि का कार्यकाल पूर्ण होने के दृष्टिगत अगले शिक्षक को नामित किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्यालय–ज्ञाप संख्या–3064/भा.विवि/कुसका/2020 दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 द्वारा नामित विश्वविद्यालय में संकायाध्यक्षों का 03 अवधि का कार्यकाल पूर्ण होने के दृष्टिगत चक्रानुक्रम में अगले शिक्षक को संकायाध्यक्ष नामित किये जाने पर परिनियमावली के प्राविधानानुसार कुलपति द्वारा नामित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान दिया गया।

साथ ही कार्य परिषद द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में आचार्य पद पर नियुक्ति न होने की दशा में निम्नानुसार संकायों हेतु नियमित आचार्य को संकायाध्यक्ष नामित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया–

क्र0	स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित संकाय का नाम	नामित संकायाध्यक्ष
1.	अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय	प्रो0 सैय्यद हैदर अली
2.	भेषजी संकाय	प्रो0 चन्दना डे
3.	विधि अध्ययन संकाय	प्रो0 मसऊद आलम

अग्रेत्तर यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त संकायों के अधीन चलने वाले विभागों में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति होने तक या अन्य कोई आदेश होने तक जो भी पहले घटित हो तक सम्बन्धित संकायाध्यक्ष विभागों के विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य सम्पादित करेंगे।

अन्य बिन्दु संख्या–33(6) :

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 10 मार्च, 2024 के बिन्दु संख्या–1 के उपक्रमांक–2 में लिये गये निर्णय के क्रम में डॉ0 राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सह आचार्य, गणित विभाग के सत्यापन आख्या से कार्य परिषद् को अवगत कराते हुए निर्णय लिये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 10 मार्च, 2024 के बिन्दु संख्या–1 के उपक्रमांक–2 में लिये गये निर्णय के क्रम में डॉ0 राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सह आचार्य (संविदा), गणित विभाग के सत्यापन आख्या के क्रम में कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि निदेशक, रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट, लखनऊ के पत्र दिनांक 28–06–2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि डॉ0 राजेन्द्र त्रिपाठी दिनांक 14–08–2013 से 09–08–2017 तक रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट, लखनऊ में एसोसिएट प्रोफेसर (गणित) के पद पर कार्यरत थे तथा डॉ0 राजेन्द्र त्रिपाठी का अनुभव प्रमाणपत्र संख्या–RITM/Exp.Cert./2016 दिनांक 02 अगस्त, 2016 एवं RITM/Exp.Cert./2017 दिनांक 07 सितम्बर, 2017 रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट, लखनऊ द्वारा निर्गत किये जाने की पुष्टि की गयी।

उक्त से कार्य परिषद् अवगत हुयी तथा डॉ0 राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सह आचार्य (संविदा) की सत्यापन आख्या को स्वीकार करते हुए दोषमुक्त घोषित किया गया एवं सेवा में बने रहने (Continue in service) का निर्णय सर्वसम्मिति से लिया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–33(7) :

विश्वविद्यालय की कार्य परिषद, विद्या परिषद्, वित्त समिति, विश्वविद्यालय सभा, क्रीड़ा परिषद्, बी.ओ.एस., फैकल्टी बोर्ड, पी.एच0डी0 वायवा हेतु आने वाले विशेषज्ञ, सदस्यगण के पधारने पर दिये जाने वाले ऑनरेरियम की वृद्धि किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न परिषदों एवं समितियों आदि में आने वाले माननीय सदस्यों एवं वाह्य विशेषज्ञों को दिये जाने वाले मानदेय में विगत कई वर्षों से किसी प्रकार की बढ़ौत्तरी नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में आने वाले सदस्यों/शिक्षकों द्वारा भी आपत्ति व्यक्त की गयी है। अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में भाषा विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने वाला मानदेय अत्यन्त कम है।

अतः कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय की कार्य परिषद, विद्या परिषद्, वित्त समिति, भवन समिति, विश्वविद्यालय सभा, क्रीड़ा परिषद्, चयन समिति, बी.ओ.एस., फैकल्टी बोर्ड, पी.एच0डी0 वायवा हेतु आने वाले विशेषज्ञ/सदस्यगणों इत्यादि के पधारने पर रू. 3000/– मानदेय प्रदान किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त निर्णय को आगामी वित्त समिति को संसूचित किये जाने के निर्देश भी प्राप्त हुए।

अन्य बिन्दु संख्या–33(8) :

श्री शबीह हैदर, लेखाकार के विरूद्ध प्रचलित जांच की अवधि 01 माह विस्तारित किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा श्री शबीह हैदर, लेखाकार के विरूद्ध प्रचलित जांच की समयावधि 01 माह अन्तिम रूप से विस्तारित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–33(9) :

प्रो0 माहरूख मिर्जा, पूर्व आचार्य, वाणिज्य विभाग के जी0पी0एफ0 अंशदान की धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रो0 माहरूख मिर्जा द्वारा पत्र दिनांक 20.09.2023 द्वारा फ्लैट खरीदने हेतु जी0पी0एफ0 की धनराशि में से रू0 25.00 लाख के भुगतान का अनुरोध किया गया था। किन्तु कतिपय प्रक्रियाओं के अभाव में तत्समय प्रो0 मिर्जा को जी0पी0एफ0 अंशदान का भुगतान नहीं किया जा सका। इसी बीच शासन के पत्र दिनांक 14.07.2022 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में प्रो0 मिर्जा के सम्बन्ध में अनुशासनिक समिति द्वारा जॉच आख्या प्रस्तुत की गयी एवं जॉच में दोषी पाये जाने पर प्रो0 माहरूख मिर्जा को दिनांक 10.03.2024 सेवा से पदच्युत कर दिया गया। वर्तमान में प्रो0 मिर्जा द्वारा उनको पदच्युत किये जाने के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में याचिका भी योजित की गयी है।

वित्त अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सेवा से पदच्युत (dismissal) के प्रकरणों में नियमों के आलोक में जी0पी0एफ0 अंशदान की 90 प्रतिशत धनराशि भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

उक्त तथ्यों से अवगत होते हुए कार्य परिषद् द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि "प्रो0 माहरूख मिर्जा को जी0पी0एफ0 अंशदान की धनराशि के भुगतान से इनके द्वारा योजित याचिका में विश्वविद्यालय के पक्ष पर कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, इस सम्बन्ध में विधिक अभिमत प्राप्त कर लिया जाए।"

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्य परिषद् की बैठक समाप्त हुयी।

Bmisha

(डॉ0 भावना मिश्रा)
कुलसचिव / सचिव

(प्रो0 एन0बी0 सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष